89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2608/पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2001-02.

बाबुलाल पिता हरसिंह
निवासी पिपलोदा, तहसील देपालपुर,
जिला इंदौर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. सालीगराम पिता हट्टाजी
2. सीताराम पिता हट्टाजी
   निवासीगण ग्राम पिपलोदा,
   तह. देपालपुर, जिला इंदौर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 10.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, देपालपुर के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपलोदा की उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन किये जाने पर सर्वे नं. 52 पैकि 0.7 डेसीमल भूमि पर अनावेदकगण का आधिपत्य पाया गया है। अत: आधिपत्य दिलाया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 13.03.2001 से आवेदन पत्र निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, देपालपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 49/अपील/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2001 के द्वारा अपील

निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.06.2002 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों पर विचार किये बगैर आवेदक की अपील सरसरी तौर पर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सीमांकन के द्वारा यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि अनावेदक द्वारा सर्वे नं. 52 के क्षेत्रफल पैकि 0.07 एकड़ पर आधिपत्य किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है। वह प्रकरण में मौजूद साक्ष्य के ठीक विपरीत पारित किया गया होने से परव्हर्स होकर निरस्त होने योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण से सीमांकन की कार्यवाही को इस प्रकरण में चुनौती देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि तहसीलदार को इस प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही की वैधता पर विचार करने का कोई विचाराधिकार प्राप्त नहीं था, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा सीमांकन को विधिवत न मानते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में जो नपती की गई है, वह विधिवत रूप से नहीं की गई है। शासकीय सीमा चिन्हों से नपतीन करते हुए मेड़ों से नपती की गई है। सीमांकन की सूचना भी पड़ोसी काश्तकारों को नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, चूंकि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी तहसील न्यायालय के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है। अतः अधीनस्थ तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2002 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर